भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2922

18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : महाराष्ट्र में वित्तपोषण बाधाओं से प्रभावित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

2922. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजेः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को, विशेषकर 2024 के बजट सत्र के बाद, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) को प्रभावित करने वाली वित्तपोषण संबंधी बाधाओं की जानकारी है और यदि हां, तो वित्तपोषण के बदलते पैटर्न के क्या कारण हैं;

(ख) विशेष रूप से महाराष्ट्र जैसे राज्यों में किसानों पर कम अथवा परिवर्तित वित्तपोषण का क्या प्रभाव पड़ा है और क्या इस संबंध में कोई अध्ययन या आकलन किया गया है;

(ग) क्या सरकार गंभीर कृषि संकट का सामना कर रहे महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के लिए वित्तपोषण पद्धति में संशोधन करने पर पुनर्विचार करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से संबंधित वित्तीय अनिश्चितताओं के मद्देनजर किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीएम-किसान, पीएम कृषि सिंचाई योजना अथवा नाबार्ड समर्थित पहलों के अंतर्गत अतिरिक्त योजनाएं शुरू करने की योजना है; और

(ड) यदि हां, तो इन चुनौतियों को कम करने के लिए क्या-क्या विशिष्ट वित्तीय और नीतिगत उपाए किए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) को प्रभावित करने वाली कोई वित्तपोषण बाधा नहीं रही है। महाराष्ट्र राज्य सरकार को 2024-25 वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के लिए 751.35 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, जो वर्ष 2023-24 में एएपी की मंजूरी 514.13 करोड़ रुपये से अधिक है। आवंटन में वृद्धि कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

(ग): वर्तमान में, महाराष्ट्र राज्य या अन्य राज्यों के लिए वित्तपोषण पैटर्न को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ड): पीएम-किसान, पीएम-कृषि सिंचाई योजना या नाबार्ड समर्थित पहलों के तहत अतिरिक्त योजनाएं शुरू करने की विभाग की कोई योजना नहीं है।

*****